भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2921

जिसका उत्तर 12.12.2024 को दिया जाना है

सड़क डिज़ाइन की संपरीक्षा

2921. श्री धर्मेन्द्र यादव:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सड़कों की खराब स्थिति, नियम-प्रवर्तन में ढिलाई, असुरक्षित वाहन और आवारा पशु हर साल 9,00,000 से अधिक मौतों और दुर्घटनाओं का कारण हैं;

(ख) यदि हां, तो विशेषकर उत्तर प्रदेश का ब्यौरा क्या है और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए राज्य-वार क्या कार्य-योजना तैयार की गई है;

(ग) क्या निर्माण शुरू करने से पहले सड़क डिज़ाइन या सुरक्षा संबंधी संपरीक्षा की घोर अनदेखी की जाती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सड़क डिज़ाइन की अधिकारियों द्वारा की जाने वाली डिज़ाइन संपरीक्षा से दुर्घटनाओं में कम से कम पच्चीस प्रतिशत की कमी आने की संभावना है;

(च) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(छ) क्या सरकार ने नागरिकों की सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सड़कों पर दुर्घटना प्रवण स्थलों क्षेत्रों की संख्या कम करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ज) यदि हां, तो इसमें अब तक क्या सफलता प्राप्त हुई है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) और (ख) सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर प्रतिवर्ष "भारत में सड़क दुर्घटनाएँ" प्रकाशित करती है। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, सड़क दुर्घटनाएँ कई कारणों जैसे कि तेज़ गति से गाड़ी चलाना, मोबाइल फोन का उपयोग करना, शराब पीकर गाड़ी चलाना/शराब और मादक पदार्थों का सेवन करना, गलत साइड में गाड़ी चलाना/लेन अनुशासनहीनता, लाल का उल्लंघन, हेलमेट और सीट बेल्ट जैसे सुरक्षा उपकरणों का उपयोग न करना, वाहनों की स्थिति, मौसम की स्थिति, सड़क की स्थिति आदि से होती हैं।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर भारत में सड़क दुर्घटनाओं पर केन्द्र सरकार द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट, 2022 के अनुसार, कैलेंडर वर्ष 2022 में देश में सभी प्रकार की सड़कों पर कुल मौतों और घायल हुए व्यक्तियों की संख्या क्रमशः 1,68,491 और 4,43,366 थी। इसका राज्य-वार विवरण **अनुबंध-I** में संलग्न है।

सरकार ने सड़क सुरक्षा के मुद्दे के समाधान के लिए 4ई अर्थात् शिक्षा, इंजीनियरिंग (सड़क और वाहन दोनों), प्रवर्तन और आपातकालीन देखभाल के आधार पर एक बहुआयामी रणनीति तैयार की है। देश में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहलों का विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(ग) से (च) केंद्र सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और रखरखाव का कार्य सौंपा गया है, जबकि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राज्यीय राजमार्गों और अन्य सड़कों का निर्माण, रखरखाव और प्रबंधन करते हैं। सड़क सुरक्षा प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का एक अभिन्न और अपरिहार्य घटक है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा पहल विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की शुरुआत के साथ शुरू होती है क्योंकि सभी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की सड़क सुरक्षा संपरीक्षा सभी चरणों अर्थात् डिजाइन, निर्माण, संचालन और रखरखाव पर तृतीय पक्ष के लेखा परीक्षकों/विशेषज्ञों के माध्यम से अनिवार्य कर दी गई है। वित्त वर्ष 22-23 में 31,423 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग और वित्त वर्ष 23-24 में लगभग 42,013 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का सड़क सुरक्षा संपरीक्षा पूरी हो चुकी है। वर्तमान वित्त वर्ष 2024-25 (30.09.2024 तक) के दौरान, लगभग 15329 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग की संपरीक्षा की गई।

(छ) और (ज) सरकार ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध कराए गए सड़क दुर्घटना आंकड़ों के आधार पर राष्ट्रीय राजमार्गों पर ब्लैक स्पॉटस/दुर्घटना स्थलों की पहचान और सुधार को उच्च प्राथमिकता दी है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर कुल 13,795 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए हैं।

सरकार साइट की आवश्यकता के अनुसार अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपचारात्मक उपाय करती है। 13,795 ब्लैक स्पॉट्स में से 9,525 ब्लैक स्पॉट्स पर अल्पकालिक सुधार उपाय पूरे कर लिए गए हैं और 4,777 ब्लैक स्पॉट्स पर दीर्घकालिक सुधार उपाय पूरे कर लिए गए हैं।

अनुबंध - I

सड़क डिज़ाइन की संपरीक्षा के संबंध में श्री धर्मेन्द्र यादव द्वारा 12 दिसंबर, 2024 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2921 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

कैलेंडर वर्ष 2022 के लिए सड़क दुर्घटना में हुई मौतों और घायलों का राज्य-वार विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मृतकों की संख्या	चोटों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	8,293	21340
2	अरुणाचल प्रदेश	148	186
3	असम	2,994	5637
4	बिहार	8,898	7068
5	छत्तीसगढ	5,834	11695
6	गोवा	271	1091
7	गुजरात	7,618	15089
8	हरियाणा	4,915	8519
9	हिमाचल प्रदेश	1,032	4063
10	झारखंड	3,898	3747
11	कर्नाटक	11,702	48154
12	केरल	4,317	49307
13	मध्य प्रदेश	13,427	55168
14	महाराष्ट्र	15,224	27239
15	मणिपुर	127	817
16	मेघालय	162	310
17	मिजोरम	113	107
18	नागालैंड	73	291
19	ओडिशा	5,467	10302
20	पंजाब	4,756	3324
21	राजस्थान	11,104	22293
22	सिक्किम	92	354
23	तमिलनाडु	17,884	67703
24	तेलंगाना	7,559	20209
25	त्रिपुरा	241	541
26	उत्तराखंड	1,042	1613
27	उत्तार प्रदेश	22,595	28541
28	पश्चिम बंगाल	6,002	12843
29	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	19	136
30	चंडीगढ़	83	203
31	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	90	273
32	दिल्ली	1,461	5201
33	जम्मू और कश्मीर	805	8372
34	लद्दाख	62	346
35	लक्षद्वीप	2	2
36	पुदुचेरी	181	1282
कुल (संपूर्ण भारत)		**1,68,491**	**4,43,366**

अनुबंध - II

सड़क डिज़ाइन की संपरीक्षा के संबंध में श्री धर्मेन्द्र यादव द्वारा 12 दिसंबर, 2024 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2921 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

सड़क सुरक्षा के मुद्दों का समाधान करने के लिए सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा की गई विभिन्न पहलों का विवरण: -

(1) शिक्षा:

i. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए विभिन्न एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सड़क सुरक्षा प्रचार योजना लागू की है।

ii. जागरूकता फैलाने और सड़क सुरक्षा सुदृढ़ीकरण के लिए प्रति वर्ष राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह/ सप्ताह मनाना।

iii. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने देश भर में राज्य/जिला स्तर पर ड्राइविंग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (आईडीटीआर), क्षेत्रीय ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र (आरडीटीसी) और ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र (डीटीसी) की स्थापना के लिए एक योजना लागू की है।

(2) इंजीनियरिंग (सड़क और वाहन दोनों)

2.1 सड़क इंजीनियरिंग

i. सभी राष्ट्रीय राजमार्गों (रारा) का सड़क सुरक्षा ऑडिट (आरएसए) तीसरे पक्ष के लेखा परीक्षकों/विशेषज्ञों के माध्यम से सभी चरणों अर्थात् डिजाइन, निर्माण, संचालन और रखरखाव आदि में करवाना अनिवार्य कर दिया गया है।

ii. राष्ट्रीय राजमार्गों पर ब्लैक स्पॉट्स/दुर्घटना संभावित स्थानों को चिह्नित और सुधार करने को उच्च प्राथमिकता दी गई है।

iii. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधीन सड़क स्वामित्व वाली एजेंसियों के प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में सड़क सुरक्षा अधिकारी (आरएसओ) को आरएसए और सड़क सुरक्षा संबंधी अन्य कार्यों की देखरेख के लिए नियुक्त किया गया है।

iv. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पूरे भारत में सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों को दर्ज करने, उनका प्रबंधन और विश्लेषण के लिए एक केंद्रीय भंडार स्थापित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (ई-डीएआर) परियोजना लागू की है।

v. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्गों पर संकेतक लगाने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, ताकि वाहन चालकों को बेहतर दृश्यता और सहज मार्गदर्शन मिल सके।

vi. सड़क डिजाइन, निर्माण और रखरखाव के लिए समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानकों का पालन न करने के लिए मोटर यान अधिनियम, 1988 में प्रावधान किए गए हैं।

2.2 वाहन इंजीनियरिंग:

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वाहनों को सुरक्षित बनाने के लिए विभिन्न पहल की हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

i. मंत्रालय ने वाहन की अगली सीट पर चालक के बगल में बैठे यात्री के लिए एक एयरबैग का अनिवार्य प्रावधान किया है।

ii. मंत्रालय ने सवारी करने या मोटर साइकिल पर ले जाने वाले चार साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सुरक्षा उपायों से संबंधित मानदंड निर्धारित किए हैं। इसमें एक सुरक्षा हार्नेस, क्रैश हेलमेट के उपयोग को निर्दिष्ट किया गया है और गति को 40 किमी प्रति घंटे तक सीमित किया गया है।

iii. निम्नलिखित सूचीबद्ध सुरक्षा प्रौद्योगिकियों को लगाने के लिए अनिवार्य प्रावधान: -

एम1 श्रेणी के वाहनों के लिए:

- ड्राइवर और सह-चालक के लिए सीट बेल्ट रिमाइंडर (एसबीआर)
- सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम के लिए मैनुअल ओवरराइड
- अति रफ्तार चेतावनी प्रणाली

सभी एम और एन श्रेणी के वाहनों के लिए:

- रिवर्स पार्किंग चेतावनी प्रणाली

iv. एल [चार पहियों से कम वाले मोटर वाहन और क्वाड्रिसाइकिल शामिल है] एम [यात्रियों को परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले कम से कम चार पहियों वाले मोटर वाहन] और एन [माल के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले कम से कम चार पहियों वाले मोटर वाहन, जो बीआईएस मानकों में निर्धारित शर्तों के अधीन माल के अलावा व्यक्तियों को भी ले जा सकते हैं] श्रेणियों के कुछ वर्गों के लिए एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (एबीएस)।

v. मंत्रालय ने दो पहिया, तीन पहिया, क्वाड्रिसाइकिल, दमकल वाहन, एम्बुलेंस और पुलिस वाहनों को छोड़कर सभी परिवहन वाहनों में गति नियंत्रण फंक्शन / गति नियंत्रण डिवाइस को अनिवार्य कर दिया है।

vi. स्वचालित परीक्षण स्टेशनों की मान्यता, विनियमन और नियंत्रण के लिए नियम प्रकाशित किए, जो स्वचालित उपकरणों के माध्यम से वाहनों की फिटनेस जांच की प्रक्रिया और एटीएस द्वारा फिटनेस प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया को परिभाषित करते हैं।

vii. प्रोत्साहन/हतोत्साहन के आधार पर वाहन स्क्रैपिंग नीति तैयार की और पुराने, अनुपयुक्त तथा प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाया।

viii. स्वचालित प्रणाली के माध्यम से वाहनों की फिटनेस की जांच के लिए केंद्रीय सहायता से प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में एक आदर्श निरीक्षण और प्रमाणन केंद्र स्थापित करने की योजना।

ix. यात्री कारों की सुरक्षा रेटिंग की अवधारणा शुरू करने और उपभोक्ताओं को सूचित निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाने के लिए भारत नई कार मूल्यांकन कार्यक्रम (बीएनसीएपी) के संबंध में नियम प्रकाशित किए गए।

x. मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) और बस बॉडी बिल्डरों द्वारा बसों के निर्माण के क्षेत्र में निर्धारित समान अवसर के संबंध में नियम प्रकाशित किए गए।

xi. 1 अक्टूबर, 2025 को या उसके बाद निर्मित अनिवार्य वाहनों को एन2 (3.5 टन से अधिक लेकिन 12.0 टन से कम वाले सकल वाहन भार वाले माल वाहन) और एन3 (12.0 टन से अधिक

सकल वाहन भार वाले माल वाहन) श्रेणी के वाहनों के केबिन को एयर कंडीशनिंग प्रणाली से सुसज्जित किया जाएगा।

xii. 01 अप्रैल, 2025 से श्रेणी एम, एन और एल7 के मोटर वाहनों में सुरक्षा बेल्ट असेंबली, सुरक्षा बेल्ट एंकरेज और सुरक्षा बेल्ट और संयम प्रणालियों की स्थापना के लिए संशोधित मानकों की प्रयोज्यता के प्रावधान प्रदान करने के लिए सुरक्षा बेल्ट, संयम प्रणाली और सुरक्षा बेल्ट रिमाइंडर के मानकों के संशोधन के लिए नियम प्रकाशित किए गए। इसके अलावा, 1 अप्रैल 2025 को और उसके बाद निर्मित श्रेणी एम1 के वाहन एआईएस-145-2018 के अनुसार सभी आगे की ओर वाली पिछली सीटों के लिए सुरक्षा बेल्ट रिमाइंडर की आवश्यकता को पूरा करेंगे।

(3) प्रवर्तन

i. मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019 में सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने और यातायात नियमों के उल्लंघन के प्रतिवारण बढ़ाने और प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से सख्त प्रवर्तन के लिए कठोर शास्तियों का प्रावधान है।

ii. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क सुरक्षा की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और प्रवर्तन के लिए नियम जारी किए हैं। इन नियमों में भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्यीय राजमार्गों और राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के अंतर्गत शामिल शहरों महत्वपूर्ण जंक्शनों पर उच्च जोखिम और उच्च सघनता वाले गलियारों में इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्तन उपकरण लगाने के विस्तृत प्रावधान निर्दिष्ट किए गए हैं।

iii. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 10 जून, 2024 को सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को मोटर यान अधिनियम, 1988 के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी उपाय करने का परामर्श जारी किया है।

(4) आपातकालीन देखभाल:

i. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ऐसे नेक नागरिक (गुड समारिटन) की सुरक्षा की बात कही है जो सद्भावनापूर्वक, स्वेच्छा से तथा किसी पुरस्कार या मुआवजे की अपेक्षा के बिना दुर्घटना स्थल पर पीड़ित को आपातकालीन चिकित्सा या गैर-चिकित्सा देखभाल या सहायता प्रदान करते हैं या ऐसे पीड़ित को अस्पताल पहुंचाते हैं।

ii. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हिट एंड रन मोटर दुर्घटनाओं के पीड़ितों के मुआवजे को बढ़ा दिया है (गंभीर चोट के लिए 12,500 रुपये से 50,000 रुपये और मृत्यु के लिए 25,000 रुपये से 2,00,000 रुपये)।

iii. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण(एनएचएआई) ने राष्ट्रीय राजमार्गों के पूरे हो चुके कॉरिडोर के टोल प्लाजाओं पर पैरामेडिकल स्टाफ/आपातकालीन चिकित्सा तकनीशियन/नर्स के साथ एम्बुलेंस तैनात करने का प्रावधान किया है।

iv. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) के साथ मिलकर चंडीगढ़, हरियाणा,पंजाब,उत्तराखंड,पुडुचेरी और असम में सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को नगदीरहित उपचार प्रदान करने के लिए एक पायलट कार्यक्रम लागू किया है।

*****